



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1940 (श10)

(सं0 पटना 612) पटना, बुधवार, 27 जून 2018

उद्योग विभाग

अधिसूचना

22 जून 2018

सं० 02 उ०नि० विविध (फैसिलिटेशन कॉन्सिल) 51/06-2205—सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 30 सहपठित उप धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभागीय अधिसूचना संख्या 3008 दिनांक 25.09.2007 द्वारा सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली, 2007 अधिसूचित की गई है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 21 एवं सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली, 2007 के नियम 3 के आलोक में उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल का गठन किया गया। नियम 4 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1448 दिनांक 22.04.2016 द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल के सदस्यों का दो वर्षीय कार्यकाल दिनांक 21.04.2018 को समाप्त हो जाने के कारण सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल में सदस्यों का मनोनयन निम्न प्रकार किया जाता है:-

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 1. | विधि विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारी) | — | सदस्य |
| 2. | संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस०बी०आई०) | — | सदस्य |
| 3. | अध्यक्ष, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज | — | सदस्य |
| 4. | अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ | — | सदस्य |

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक, में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 612-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>